

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---


3.19 फावली पेश अधिवक्ता पेश रिपोर्ट खारिजा देली जहाँ जहाँ फावली रजिस्ट्रार हाथ अधिवक्ता की तदवी हेतु सम्मन जारी होकर 23.4.19 का पेश हो

3.4.19 पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तामण-हास-न्यायिक स्थगित रखा / P.O. सा. मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते तदवी दिनांक 20.6.19 को पेश हो।
सिफत

0.6.19 पत्रावली पेश। वकील पत्रकार उपस्थित हो वास्ते जवाब हाकर 12.7.19 का पेश हो। श्रीमान् पी.०.साठ गोरु मीटिंग में ही सिफत

12.7.19 पत्रावली पेश। वकील जहाँ उपस्थित ही वकील जहाँ का कथन है, कि जहाँ में मात्र वलियत परिवर्तन कर दिया गया है, जिस रिफार्ड के अवलोकन से हुकम किया जा सकता है।

विदाम अधिवक्ता जहाँ का एक तामा सुना गया। फावली का अवलोकन किया गया।
12/7/19
 जज सचिव अधिकारी
 पायगंजरी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो तारीख हुकम की तारीख में जारी हुआ हुकम
	<p> हख जमाबंदी ग्राम गूंदी सं. 2054-57 खण्ड नं० 29 व 34 किला 2 (कब) 21 बीघा 15 बिस्वा पर मोहन चौआलाम पिठ पिथा, बिाधी बैवा पिथा का नाम दर्ज है नां सं. 399 से बिाधी का नाम खारिज किया गया। नामांक नम्बर 411 से खण्ड नं० 134 की शमि 3 बीघा भीमली सीमा पाठे 40 खीरकुगल पाठे के कक दर्ज कुछे तथा इककात नम्बर 462 से ख. नं० 134 की 411, शमि में सं. 911, 9 शमि पर अनोख चौधरी 40 छदीप चौधरी का नाम दर्ज हुआ। इन प्रकार ख. नं० 27 की 964 एवं 938 की 3 + 911, 9 बन्धान के बाद माम ख. नं० 27 की 964 अवशेष रही। हख मिदान सेवकात साबिक खण्ड नं० 27 (कब) 964 के हात खण्ड नं० 26 (कब) 2.68 रेक्टर पैसुद किये गये तथा उक्त हात खसरा नम्बर पर शमी के पिता का नाम पिथा के ल्याप पर बिाधा अंकित कर रिया गया। प्रकार के उणावगुण पर </p>	

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भंग इतिहास जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

सम्बन्ध विन्ना (विपारान्ना) हम यह पाते
हैं, कि एक पक्ष प्राचीन स्वीकार योग्य है।
अतः एक पक्ष प्राचीन स्वीकार किया
जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि हाल
खत नं० 56 (कल) कल 279 हेक्टर या
उक्त उपविभाजित नम्बरों पर प्राचीन
मोहनलाल व शौब्रा राम की वस्तिगत
बिधा के स्थान पर बिधा दर्ज की
जावे। तैरसमेंट पूर्व अनुसार वस्तिगत
उक्त कट रिकार्ड में अमल किया जावे।
पदावली केसज सुमा होकर बाद
तारीख तारीख नम्बर से कस की जाकर
तारीख दर्ज हो।
चिदिय आज दिनांक 12/7/19
को भेद उदा लिखाया जाकर विपुल
न्यायालय में सुनाया गया।

12/7/19
(चिमनलाल श्रीवा)
जज सप्ले क्विस्ट,
चामराजपुरी

12/7/19